उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-8

संख्या-2/2019/1035/1-8-2019-रा०-8-35/2018

लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 2019

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-52 के लेखा शीर्षक 2029-भू०-राजस्व-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 खेतों की चकबन्दी-0301-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 1717.72 लाख (रू० सत्रह करोड़ सत्रह लाख बहत्तर हजार मात्र) एवं 0302-जिला अधिष्ठान के अन्तर्गत रू० 56435.21 लाख (पांच अरब चौसठ करोड़ पैतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू० 58152.93 लाख (रू० पांच अरब इक्यासी करोड़ बावन लाख तिरानबे हजार मात्र) तथा 0302-जिला अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में रू० 2.00 लाख (रू० दो लाख मात्र) की धनराशि शासन के आदेश संख्या-1/2019/936/1-8-2019-रा०-8-35/2018 दिनांक 15 अप्रैल, 2019 द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के संलग्नक पृष्ठ-1 मुख्यालय अधिष्ठान के मद संख्या-06 (मानक मद-अन्य भत्ते) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के कॉलम संख्या-3 एवं प्रस्तावित धनराशि के कॉलम संख्या-4 में त्रुटिवश रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) के स्थान पर रू० 50.00 लाख (रू० पचास लाख मात्र) अंकित हो गया है। अत: प्राविधानित एवं प्रस्तावित धनराशि रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) पढ़ा जाए।

2- उक्त आदेश संख्या-1/2019/936/1-8-2019-रा०-8-35/2018 दिनांक 15 अप्रैल, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त आदेश के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

भवदीय

(आर० वी० सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2019/1035(1)/1-8-2019-रा०-8-35/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय) उ०प्र०, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय) उ०प्र०, प्रयागराज।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- चकबन्दी आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, चकबन्दी आयुक्त कार्यालय,लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2

8- राजस्व अनुभाग-6

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।